THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) Certain oil and Gas projects included in the Seventh Plan are being discussed for assistance with the World Bank. However, the final selection of projects will be based on Plan allocations, proposals received and projects accepted by the Bank for funding within the overall figure of commitment indicated annually by the World Bank at the consortium meeting.

मजूरी बोर्ड की सिफारिशें

2254. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने 29 अक्तूबर, 1985 को प्रस्तुत की जाने वाली मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने का आश्वासन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इन सिफारिशों को किस प्रकार लागू करने का विचार रखती है और इन्हें किस तारीख से लागू किया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैय्या) : (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 17-7-1985 की अधिसूचना द्वारा दो मजदूरी बोर्ड गठित किए हैं- एक मजदूरी बोर्ड श्रमजीवी पत्रकारों के लिए और दूसरा गैर श्रम जीवी समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए । चीनी उद्योग श्रमिकों के लिए एक गैर सांविधिक मजदूरी बोर्ड भी दिनांक 17-7-1985 की अधिसूचना द्वारा गठित किया गया है । इन मजदूरी बोर्डों ने हाल ही में काम करना शुरू किया है और उन्हें अपनी रिपोर्टों को प्रस्तुत करने मे कुछ समय लगेगा । उनकी सिफारिशों को लागू करने का प्रश्न तभी उठेगा जब वे अपनी रिपोर्टों को अन्तिम रूप दे देगें और उन्हें प्रस्तुत कर देंगे ।

Fraudulent dealing in the State Bank of Patiala

2255. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Vigilance Commission in its Annual Report has referred to a fraudulent dealing in the State Bank of Patiala regarding sanctioning of loans to fictitious borrowers for the purchase of bufalloes; and

(b) if so, what action Government have taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) The Central Vigilance Commission during the course of examination of a fraud case pertaining to the State Bank of Patiala had observed that in a loan function some loans sanctioned for purchase of bufalloes were disbursed to borrowers, who had given wrong names and addresses. The Central Bureau of Investigation registered a case on 14-11-80 and there after filed a chargesheet in a court of law.

स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा गलत भुगतान

2256. **श्री अश्विनी कुमार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इन्दौर की चांदनी चौक, दिल्ली की शाखा द्वारा 5000 रुपए के दो ड्राफ्टों का भुगतान सही व्यक्ति की बजाय गलत व्यक्ति को कर दिया गया है; और

(ख) इस मामले में बैंक द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) विशिष्ट ब्यौरे के बिना माननीय सदस्य जिस मामले का जिक्र कर रहे हैं वह स्पष्ट नहीं है अलबत्ता, स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि पार्टी का एक मामला है, जिसने पांच-पांच हजार रुपए के दो ड्राफ्टों की रकम न मिलने का दावा किया है । स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि उसकी जांच से यह पता चलता है कि